

| 1<br>आदेश की संख्या<br>तारीख | 2<br>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1<br>28.10.22                | <p>अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष मुकुन्द देवी उपस्थित / द्वितीय पक्ष बीरलाल निषाद उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा शॉर्टिपूण स्थिति होने की बात कही गयी। मामला जमीन निषाद का है जो title suit से संबंधित है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अतः वाद के भागे की कार्यवाही बंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">08/11/22</p> |                                                         |